

न्यायालय सहायक कलेक्टर राशमी, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्रमांक/सरिश्ता 5-08(193)2023/
निमित्त,

दिनांक 20/8/2023

तहसीलदार
राशमी
विषय :- बाबत पत्थरगढ़ी।



1. लक्ष्मी लाल पिता पृथ्वीराज जीजाति सुखवाल नि. भोपालई
2. देवकिशान पिता नारायण लाल जाति प्राहण नि. भोपालई
- 3.
- 4.
- 5.

प्रार्थीगण

- | | | |
|----|---|-------------|
| | बनाम | |
| 1. | राधेश्याम पिता उदधलाल जाति सुखवाल निवासी भोपालई | |
| 2. | अमिण्वर लाल पिता उदधलाल जाति सुखवाल नि. भोपालई | |
| 3. | मादु पिता भागीरथ गुजर निवासी गालरफ | |
| 4. | शतन पिता भागीरथ गुजर निवासी गालरफ | |
| 5. | भगवान लाल पिता भागीरथ गुजर जाति गुजर नि. गालरफ | |
| 6. | श्री मान तहसीलदार सहल राशमी | अप्रार्थीगण |

प्रार्थना पत्र संख्या :- 193/2023

:- प्रार्थना पत्र बाबत कराये जाने पत्थरगढ़ी :-

उपरोक्त अजवान से संबंधित प्रकरण में आपको 1000.- रुपया शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता मौजा भावलपुर। पटवार हल्का अजाना। तहसील राशमी में स्थित आराजी संख्या 58 की दोनों पक्षकारान की उपस्थिति में चारों है कि दिशाओं की पुख्ता पत्थरगढ़ी अगर मौके पर किसी प्रकार का कोई विवाद एवं किसी न्यायालय द्वारा कोई स्थगन प्रभावी न हो तो तथा मौके पर फसल खड़ी न हो तो पत्थरगढ़ी की जाएँ, मौके पर किसी प्रकार का विवाद होने पर पत्थरगढ़ी नहीं कि जावे एवं इसी आशय का पर्चा मौका प्रेषित करावें। कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका पेश करे



सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी),
राशमी
राशमी

